न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2025

बउनवान

सुमित्राबाई आयु 45. वर्ष पुत्री श्री रामनाथ पत्नि बद्रीलाल जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मॉगरोल जिला बारां राज० हाल कांकरा तहसील पीपल्दा जिला–कोटा (राज.) **अपीलान्ट**

– बनाम –

1. लटूरलाल पुत्र स्व० रामनाथ जाति मीणा निवासी तिसाया
2. रामकल्याण पुत्र स्व० रामनाथ जाति मीणा निवासी तिसाया
3. रामस्वरूप पुत्र स्व० रामनाथ जाति मीणा निवासी तिसाया
4. सौभागमल पुत्र स्व० रामनाथ जाति मीणा निवासी तिसाया
5. जगन्नाथी बेवा स्व० रामनाथ जाति मीणा निवासी तिसाया
6. रेखाबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मॉगरोल जिला बारां
7. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार मॉगरोल जिला बारां

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध इन्तकाल नंबर 59 दिनांक 30.03.1995 व इन्तकाल नंबर 1246 दिनांक 11.06.2025 अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः– 1. श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक **अपीलांट**
2. श्री एन. के. सोमानी अभिभाषक **रेस्पो. कम 3 व 6**

निर्णय दिनांक 18.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे खसरा नंबर 1037 रकबा 0.79 हे०, खसरा नंबर 115 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 216 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 1.81 हेक्टेयर व खसरा नबर 583 रकबा 2.40, खसरा नंबर 568 रकबा 5.63 हेक्टेयर, खसरा नंबर 75 रक्खा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 4.21 हैक्टेयर ग्राम तिसाया तह० मांगरोल मे दर्ज हो रही है जिसके खातेदार रेस्पो० कम 1 लगायत 5 है। पूर्व मे उक्त आराजी स्व० रामनाथ केदार, पिसरान धन्नालाल जाति मीणा के नाम दर्ज थी। रेस्पो० कम 1 लगायत 5 व अपीलान्ट सुमित्राबाई स्वर्गीय रामनाथजी के विधिक वारिसान है। स्वर्गीय रामनाथजी की मृत्यु के पश्चात इन्तकाल नंबर 59 दिनांक 30/03/1995 ग्राम तिसाया तहसील मॉगरोल खोला गया जिसमें हल्का पटवारी तिसाया ने मृतक रामनाथ का जो शजरा बनाया उस शजरे मे अपीलान्ट व रेस्पो० कम 1 ता 5 को दर्शाया गया है तथा आई एल आर सीसवाली ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 30/03/1995 में लिखा है कि मुताबिक शजरा रामनाथ के वारिसान के नाम नामान्तरण स्वीकृत फरमावें परन्तू नायब तहसीलदार मॉगरोल ने इन्तकाल तस्दीक करते समय मात्र रेस्पो० कम 1 ता 5 के नाम का ही उल्लेख करते हुए इन्तकाल तस्दीक कर दिया और अपीलान्ट को उसके विधिक अधिकारों से वंचित होना पडा। अतः इन्तकाल नंबर 59 दिनांक 30/03/1995 विधि विरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपीलान्ट के नाम इन्तकाल दर्ज नही होने से वह किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है। इन्तकाल नंबर 59 रामनाथ के 4 पुत्रों व बेवा के नाम तस्दीक किया गया है। अतः इन्तकाल नंबर 59 काबिले खारिज है। इन्तकाल नंबर 59 मे रामनाथ, केदार पिसरान धन्नालाल दर्ज हो रहा है। केदार ने अपना खाता प्रथक करवा लिया जिसके पश्चात रामनाथ जी के वारिसान के पास वर्तमान मे खाता संख्या नयी 291 ग्राम तिसाया तह० मॉगरोल में कुल किता 7 कुल रकबा 5.63 हेक्टेयर आराजी स्थित है जिसमे रेस्पो० कम 1 से 5 का नाम दर्ज हो रहा है। रेस्पो० कम 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

1. यह कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे खसरा नबर 1037 रकबा

रेखाबाई के पति कन्हैयालाल मीणा ग्राम तिसाया के ही रहने वाले है तथा रेस्पो० कम 6 द्वारा रेस्पो० कम 3 रामस्वरूप पुत्र रामनाथ से शामलाती खाता जिसमे अपीलांट का भी 1/6 हिस्सा बनता है, खाता संख्या 291 की कुल आराजी किता 7 रकबा 5.63 हेक्टेयर मे से अपने पक्ष में खसरा नबर 412 रकबा 1.81 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 583 रकबा 2.40 हे0 मे से रामस्वरूप का 1/5 हिस्सा रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 11/06/2025 को करवा लिया है तथा बेचान दिनांक 11/6/2025 को ही इन्तकाल नबर 1246 तस्दीक करवा लिया है। चूंकि रेस्पो० कम 6 द्वारा कय किया गया हिस्सा 1/5 मे अपीलान्ट का भी हिस्सा बनता है इसलिए उक्त इन्तकाल नंबर 1246 दिनांक 11/6/2025 प्रथम दृष्टया ही काबिले खारजी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो० कम 6 द्वारा शामलाती खाता संख्या 291 दर्ज किता 7 रकबा 5.63 हेक्टेयर में से मात्र 2 खसरा नंबर 412 रकबा 1.81 व 583 रकबा 2.40 हेक्टेयर को ही कय किया गया है जबकि इन खसरा नंबरान पर अपीलान्ट व उसकी माता जगन्नाथीबाई रेस्पो० कम 5 का कब्जा काश्त था। अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज नही था परन्तु अपीलान्ट अपनी माता जगन्नाथीबाई रेस्पो० कम 5 व अन्य भाईयो के जयें अपने हिस्से को काश्त करवाती थी व अपने हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग करती थी। रजि० बेचान दिनांक 11/6/2025 के आधार पर इन्तकाल नबर 1246 दिनांक 11/6/2025 को तस्दीक कर दिया इस तरह अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही होने से अपीलांट का हक व हिस्सा भी रेस्पो० कम 6 के नाम दर्ज कर दिया गया चूंकि अपीलांट का नाम खाते मे दर्ज होने पर बेचानकर्ता रेस्पो० कम 3 रामस्वरूप का मात्र 1/6 हिस्सा बनता है व उसका ही बेचान करने का वह अधिकारी था। रेस्पो० कम 3 रामस्वरूप को अपीलान्ट के विधिक वारिस होने की पूर्ण जानकारी थी परन्तू षडयंत्रपूर्वक इन्तकाल नबर 1246 दर्ज करवाया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया ही इन्तकाल नंबर 59 दिनांक 30.03.1995 व इन्तकाल नंबर 1246 दिनांक 11/6/2025 काबिले खारिज है। चूंकि अपीलांट के हक व हिस्से का हनन हुआ है तथा न्यायिक दृष्टान्त आर बी जे 2023 में यह व्यवस्था दी गई है कि सहखातेदारान अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान नहीं कर सकता लेकिन रेस्पो० कम 3 ने अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड मे नाम न होने का फायदा उठाते हुए अपने हिस्से 1/6 के स्थान पर 1/5 हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान कर दिया जिसमे अपीलान्ट का हिस्सा भी शामिल है। अतः अपीलान्ट इन्तकाल नंबर 59 व इन्तकाल नंबर 1246 को त्रुटिपूर्ण होने से खारिज करा पाने की अधिकारणी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नंबर 1246 दिनांक 11/6/2025 व इन्तकाल नबर 59 दिनांक 30/03/1995 को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल को निर्देशित किया जावे कि मृतक रामनाथ पुत्र धन्नालाल के वारिसान की पुनः जांच कर फौती इन्तकाल तस्दीक करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट कम 3 व 6 जयें अभिभाषक उपस्थित हुये शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस उभयपक्ष हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता की मृत्यु होने पर खोले गये इंतकाल नंबर 59 दिनांक 30.03.1995 पर पटवारी हल्का एवं भू अभि. निरी. द्वारा अंकित पारिवारिक शजरे में अपीलांट का नाम अंकित होने के बावजूद भी तस्दीक करते वक्त राजस्व अधिकारी ने मात्र मृतक के पुत्रों व बेवा का नाम ही आदेश में अंकित किया तथा अपीलांट का नाम अंकित नहीं किया। ऐसी स्थिति में उक्त इंतकाल अपीलांट का नाम छोड़े जाने से प्रारम्भ से ही शून्य है। इंतकाल नंबर 59 के आधार पर ही रेस्पो. ... हिस्सा 1/5 दर्ज हुआ जिसका उसने बेचान रेस्पो. कम 6 के पक्ष में कर दिया, जबकि ... अपीलांट के हिस्से सहित प्रत्येक सहखातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

1. यह कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे खसरा नबर 1037 रकबा

का विवादित आराजीयात में 1/6 हिस्सा ही बनता है। इस प्रकार रेस्पो. कम 3 द्वारा रेस्पो. कम 6 को किया गया 1/5 हिस्से का बेचान भी प्रारम्भ से ही शून्य है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने विधिक दृष्टांत आरबीजे 2023 पेज 668 तथा पेज 644 का अवलोकन करवाया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इन्तकाल नंबर 1246 दिनांक 11/6/2025 व इन्तकाल नबर 59 दिनांक 30/03/1995 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खंडन करते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स मीणा जाति से हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। मीणा जाति में विवाहित पुत्री को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपीलांट ने मृतक रामनाथ के फोती इंतकाल को 30 वर्ष बाद चुनौती दी है जो अवधि बाधित है। अपीलांट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये इंतकाल को चुनौती दी है जबकि उसे जिस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त इंतकाल खोला गया है उस विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना चाहिये था। पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 53 व 183 आर टी एक्ट का विचाराधीन है, तथा नियमित वाद पूर्व से ही विचाराधीन होने से यह पश्चातवर्ती कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने विधिक दृष्टांत आरआरडी 2002 पेज 31, अतिरिक्त वाद का वर्जन आदेश 2 नियम 2 व धारा 10 सीपीसी 2014 (4) सीडीआर पेज 857 (एस सी) तथा आरआरडी 2014 पेज 213 का अवलोकन करवाया तथा अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विचारण किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने अंकित किया है कि उसे अपने परिजनों से रेस्पो. कम 3 द्वारा जमीन विक्रय करने की जानकारी प्राप्त हुई तब उसने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की जिससे ज्ञात हुआ कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अपीलाधीन इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी 30.07.2025 में हुई। इसके पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर इन्तकाल व पुराना राजस्व रेकार्ड निकलवाने तथा नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की गई। अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 30.03.1995 को खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जो कि अपील प्रस्तुत करने से 30 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व खोला गया है। 30 वर्ष से अधिक समय के पश्चात अपील पेश करने का कोई उचित, युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक कारण होना अवगत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते हैं। चूंकि पक्षकारान के मध्य नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में विचाराधीन है तथा नियमित वाद में ही पक्षकारान के हक तय होंगे। नामान्तकरण एक समरी ट्रायल एवं फिस्कल कार्यवाही है तथा नामान्तकरण से हक का निर्धारण नहीं होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:19 IST
Reason: SelfAttested